

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।

पत्रांक- 1676/11-सी-FP/UP/Min/24551/2017, लखनऊ, दिनांक: नवम्बर 14, 2022

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
मीरजापुर क्षेत्र, मीरजापुर।

विषय:-

जनपद-सोनभद्र में रेनुकूट वन प्रभाग के अनपठा रेज के अन्तर्गत नार्दन कोल फील्ड्स लिंग की बीना परियोजना को बीना-ककरी एकीकरण परियोजना हेतु 30.50 हेक्टर आरक्षित वनभूमि का 30 वर्षों के लीज पर इस्तान्तरण किये जाने एवं बाधक 14000 वृक्षों के पातन की अनुमति के संबंध में।

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक-8वी/य०पी०/०५/३४/२०२२/एफ०सी०/२५, दिनांक 12.04.2022, इस कार्यालय का पृष्ठांकन सं0-2947/11-सी-FP/UP/Min/24551/2017, दिनांक 13.04.2022 एवं आपका पत्रांक-1560/मी०प्ल०/३३, दिनांक 31.10.2022

महोदय,

भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा विषयगत प्रकरण में की गयी आपत्तियों का निराकरण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र दिनांक 31.10.2022 के द्वारा इस कार्यालय को दिनांक 10.11.2022 को उपलब्ध कराया गया है, जिसके परीक्षणोपरान्त निम्न कमियों/अभिलेखों का अभाव पाया गया-

1. भारत सरकार की आपत्ति सं0-01 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया CA स्थल की kml file मुनः प्रस्ताव सं0-41830/2019 के CA स्थल को ओवरलेप कर रहा है। अतः सही CA स्थल का चयन कर इससे सम्बन्धित अभिलेख यथा Geo Referenced Digital Map, Soil Toposheet, kml file, प्रावक्तन एवं उपयुक्त प्रमाण एवं आईटी० हारा रांशोधित DSS Analysis प्रमाण पत्र संलग्न करें तथा ऑनलाइन भाग-2 से पूर्व का डिलिट कर संशोधित ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
2. भारत सरकार की आपत्ति सं0-04 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया मक्का डिस्पोजल प्रमाण पत्र के सभी पृष्ठों पर प्रभागीय बनाधिकारी के हस्ताक्षर नहीं हैं।
3. भारत सरकार की आपत्ति सं0-06 के निराकरण के क्रम में संलग्न किया गया लागत लाभ विश्लेषण में संशोधित एन०पी०वी० की दर गलत ली गयी है। अतः सही एन०पी०वी० की दर 1357110 रुपये प्रति हेक्टर की से गणना कर लागत लाभ विश्लेषण संलग्न करें एवं पूर्व का लागत लाभ विश्लेषण ऑनलाइन भाग-1 एवं ऑनलाइन भाग-2 से डिलिट कर ऑनलाइन भाग-2 में यथास्थान पर अपलोड करें।
4. भारत सरकार की आपत्ति सं0-07 के निराकरण के क्रम में Reclamation plan प्रभागीय बनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
5. भारत सरकार की आपत्ति सं0-08 के निराकरण के क्रम में Wildlife Management plan & Conservation Plan प्रभागीय बनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
6. भारत सरकार की आपत्ति सं0-11 के निराकरण के क्रम में संलग्न अनुपालन आख्या प्रभागीय बनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
7. भारत सरकार की आपत्ति सं0-13 के निराकरण के क्रम में संलग्न अभिलेख प्रभागीय बनाधिकारी द्वारा सत्यापित नहीं है।
8. भारत सरकार की आपत्ति सं0-18 के निराकरण के क्रम में भारत सरकार द्वारा बांधित मुख्य वन संरक्षक, मीरजापुर की निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न नहीं है।
9. उपरोक्त कमियों के निराकरण के उपरान्त संशोधित अभिलेखों की एक पी०डी०एफ० फाइल एवं संशोधित CA स्थल की kml file पेनड्राइव में अपलोड कर संलग्न करें।

अतः उपर्युक्त इग्निट कमियों का निराकरण कराते हुये भारत सरकार के उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा की गयी आपत्तियों का पूर्ण विन्दुवार निराकरण एवं उससे सम्बन्धित अभिलेख संस्तुति सहित तीन प्रतियों में इस कार्यालय को शीघ्र प्रेषित करने का कष्ट करें, जिससे कि आवश्यक अग्रेसर कार्यवाही की सके।

भवदीय

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- 1676/11-सी-FP/UP/Min/24551/2017, दिनांकित।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. प्रभागीय बनाधिकारी, रेनुकूट वन प्रमाण, रेनुकूट।
2. नार्दन कोल फील्ड्स लिंग, बीना-सोनभद्र।

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक मीरजापुर कोडु, मीरजापुर

पड़ोक - 1777 /मीरजापुर/उत्तरायणी, नवम्बर 17-2022

18
(अनुपम गुप्ता)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उ०प्र०, लखनऊ।

प्रतिलिपि- प्रभागीय बनाधिकारी, रेनुकूट को
अपरोक्षाकार सूचनार्थी श्री उपराजनक कार्यवाही हेतु

मुख्य वन संरक्षक
मीरजापुर कोडु, मीरजापुर